

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

शुद्धि पत्र

उद्योग निदेशालय के स्वीकृत्यादेश सं०-505 दिनांक-21.02.17 की कंडिका-8 को संशोधित करते हुए इसे निम्न प्रकार पढ़ा जाय:- इस राशि की अग्रिम निकासी कोषागार फार्म संख्या-26 पर की जायेगी।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. शेष यथावत रहेंगे।

ह०/-  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-708

पटना, दिनांक 10.3.17

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चंपारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, एवं प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार) / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सर्वश्री मेनमेंहसी सीप बटन कुटीर उद्योग समिति, मेनमेंहसी, थाना-मेंहसी, जिला-पूर्वी चंपारण / मेसर्स आई०एल०एण्ड एफ०एस० क्लस्टर, सेंट कैरेंस हाई स्कूल के सामने, खगौल रोड, दानापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

384

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक .....

विषय:- मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत सर्वश्री मेनमेंहसी सीप बटन कुटीर उद्योग समिति, मेनमेंहसी, थाना-मेंहसी, जिला-पूर्वी चंपारण को प्रथम किस्त के रूप में ₹29.57लाख (उनतीस लाख सत्तावन हजार रुपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत सर्वश्री मेनमेंहसी सीप बटन कुटीर उद्योग समिति, मेनमेंहसी, थाना-मेंहसी, जिला-पूर्वी चंपारण के विकास हेतु प्रस्तावित सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) का उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिनांक-09.09.2016 की बैठक में अनुमोदित किए जाने के आलोक में सर्वश्री मेनमेंहसी सीप बटन कुटीर उद्योग समिति, मेनमेंहसी, थाना-मेंहसी, जिला-पूर्वी चंपारण को स्वीकृत परियोजना लागत ₹295.71 लाख के विरुद्ध 100 प्रतिशत की दर से अनुमान्य अनुदान ₹295.71 लाख का 10 प्रतिशत की दर से प्रथम किस्त के रूप में ₹29.57 लाख (उनतीस लाख सत्तावन हजार रुपए मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि का व्यय स्वीकृत डी0पी0आर0 के अनुसार नहीं रहने तथा किसी प्रकार का विचलन किए जाने पर SPV को भुगतान की गयी राशि ब्याज सहित उद्योग विभाग को वापस करना होगा। व्यय में बिहार वितीय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

3. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चंपारण उक्त क्लस्टर के सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना पर होने वाले व्यय का नियमित अनुश्रवण करेंगे कि कार्य डी0पी0आर0 के अनुसार कराया जा रहा है या नहीं? साथ ही बिहार वितीय नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं? प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराएँगे।

4. उक्त क्लस्टर के पी0 एम0 ए0 मेसर्स आई0एल0एण्ड एफ0एस0 क्लस्टर उक्त क्लस्टर के सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के निमित्त कराए जा रहे कार्यों का नियमित अनुश्रवण करेंगे ताकि कार्य डी0पी0आर0 के अनुसार बिहार वितीय नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप हो सके। साथ ही वे उपलब्ध कराई गई राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चंपारण के माध्यम से भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।

5. उक्त राशि का व्यय वहन वितीय वर्ष 2016-17 में आयोजना व्यय (विस्तृत) में मांग संख्या-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्यशीर्ष-00-, लघु शीर्ष-104-हस्तशिल्प उद्योग, उपशीर्ष

क्रमशः पृष्ठ-2

253  
-0101-हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड-P2851001040101 राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5442 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद में उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जाएगी।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

8. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

9. इस राशि का भुगतान सर्वश्री मेनमेंहसी सीप बटन कुटीर उद्योग समिति, मेनमेंहसी, थाना-मेंहसी, जिला-पूर्वी चंपारण को डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह0/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-505.....

पटना, दिनांक 21.2.17.....

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चंपारण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03, एवं प्रशाखा-05, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार)/ आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सर्वश्री मेनमेंहसी सीप बटन कुटीर उद्योग समिति, मेनमेंहसी, थाना-मेंहसी, जिला-पूर्वी चंपारण / मेसर्स आई0एल0एण्ड एफ0एस0 क्लस्टर, सेंट कैरेंस हाई स्कूल के सामने, खगौल रोड, दानापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

20.2.17